प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. हरियाणा राज्य में सभी मण्डल आयुक्त ।
3. हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त ।

यादी कमांक 2/6/2015–2स्थाः।।
दिनांक 20 फरवरी, 2017.

विषयः– हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थानान्तरण आधार पर के लिपिकों के पद भरने हेतु ।

हरियाणा सिविल सचिवालय में सभी वर्गो जैसे कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग इत्यादि के रिक्त पदों को हरियाणा सरकार के अन्य विभागों में नियमित आधार पर कार्यरत लिपिकों में से वेतन **Level-2 of Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules,2016 (having initial 1st Cell of Rs.19,900) +40 S.P. (Pre-revised PB-I, 5200-20200+1900 Grade Pay + 40/-Spl. Pay)** में स्थानान्तरण आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है जोकि इस विभाग के नियम व सरकार की हिदायतों अनुसार निम्नलिखित योग्यतायें व शर्तें पूर्ण करते हों :–

1. i) **10+2 with 1st Division or Graduate or its equivalent; and**
   ii) **Knowledge of Hindi/Sanskrit upto Matric standard;**
2. लिपिक के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा आवेदन पत्र आमन्त्रित करने की अन्तिम तिथि तक पूर्ण करते हो ।
3. प्रारम्भिक नियुक्ति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से हुई हो ।
4. हरियाणा सिविल सचिवालय में लिपिक के पद पर नियुक्ति के इच्छुक किसी भी कर्मचारी के विरूद्व हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियमावली,1987 तथा के नियम–7 तथा 8 के तहत व अन्य अनुशासनिक कार्यवाही कोई शिकायत अथवा जांच का कोई मामला विचाराधीन/लम्बित नहीं होना चाहिए ।
5. इनकी नियुक्ति से सम्बन्धित कोई भी मामला न्यायालय में लम्बित/विचाराधीन नहीं होना चाहिए ।
6. इनका गोपनीय रिकार्ड 70 प्रतिशत अच्छा या इससे बेहतर स्तर का हो तथा उनकी ईमानदारी भी सन्देहजनक न हो । सम्बन्धित कर्मचारी/कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट फाईल उनकी सांख्यांकित समरी सहित आवेदन के साथ भेजें।
7. आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही भेजें जायें ।
8. कम्पयूटर का ज्ञान व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग/कार्यालय में आपके अधीन

जारी पृष्ठ......2/–.

कार्य कर रहे लिपिकों में से जो कर्मचारी हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थानान्तरण आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो और उक्त वर्णित योग्यताएं एवं अनुभव व शर्तें पूर्ण करते हों उनके आवेदन पत्र अपनी सिफारिश सहित निम्न हस्तक्षारकर्ता, कमरा नं0–38, पॉचवी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय (स्थापना–।। शाखा में) को निम्नलिखित ब्यौरा देते हुए दिनांक 22–03–2017 तक अवश्य भेज देवें :–

नाम	लिपिक के पद पर नियुक्ति/ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि व सेवा अवधि	स्थाई अथवा अस्थाई	वर्ग (प्रमाण पत्र सहित)	शैक्षणिक योग्यता(प्रमाण पत्र सहित) व टाईप टैस्ट पास करने की सूचना ।	भर्ती का माध्यम
1.	2.	3.	4.	5.	6.

जो कर्मचारी हरियाणा सिविल सचिवालय में लिपिक के पद की उक्त निर्धारित योग्यतायें, अनुभव व अन्य शर्तें पूर्ण न करते हों उनके नामों की सिफारिश न की जायें। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

अधीक्षक स्थापना–।।,
कृते :–मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा

दिनांकः 7-3-17

पृष्ठांकन क्रमांक स्था0/2017/ 7640-7726

प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि इसे अपने अधीन कार्यरत सभी लिपिकों में से जो कर्मचारी हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थानांतरण आधार पर नियुक्ति के इच्छुक हो दिनांक 15.03.2017 तक मुख्यालय में सूचित करने का कष्ट करें।

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुड़गॉव(एन0सी0आर0)।
3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
5. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
7. कल्याण अधिकारी (महीला) फरीदाबाद व पानीपत।
8. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
9. सभी ब्रान्च इन्चार्ज।

D Kumari

उप अधीक्षक (स्था0)
कृते : श्रम आयुक्त, हरियाणा ।